

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 11/अ-82/16-17/सडकवाडा/5354
// घोषणा //

बैतूल दिनांक 7.06.2019

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	लगाभग	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	
बैतूल	घोडाडोंगरी	सड़कवाड़ा	0.330		ईटारसी -नागपुर, तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम, छतन, कुमानसिंग वल्द उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	210	1.534	0.001
2	बिजंतीबाई पिता फागु जाति गोंड सा० देह	217	0.283	0.001
3	नविया बेवा फगनू कलेसिया, कलावती, सुमन,सुमरती,फूलवती,सुलन्ती पिता फगनू मंगलसिंग वल्द मन्नु झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल,विसिंग, बिसनू वल्द मोडडा झुनकी फुलवंती, श्यामवती पिता मोडडा, रमा डोंगरी, रामबाई पिता श्यामू कमला बेवा डेबू रामदास वल्द डेबू छतन वल्द लक्ष्मण मन्दी झबली बेवा सम्मल इमरत वल्द सम्मल रामजी किसन वल्द जोगी लक्ष्मी रामबाई पिता जोगी गोंड सा० देह	218	0.089	0.026
4	मिश्रीलाल व बिहारीलाल सा० देह	233	0.097	0.031
5	भगीया बेवा उदेसिंग सूरज, पंचम छतन, कुमानसिंग वल्द उदेसिंग जाति गोंड सा० देह	234	0.065	0.023
6	गुंडा व झीटू जाति गोंड पता निवासी	236	0.021	0.022
7	कालु व० दुकारी, किशोरी व मकडन, नजरू, भिक्की वल्द दसन, कज्जो मुल्लो पिता दसन बसंत सोमजी वल्द देलू झुनका, बिलन्ती, प्रेमवती, पिता देलू, मादू कारू वल्द चिक्कू जाति गोंड सा० देह	256	0.772	0.039
8	कन्छेदीलाल व रामकिसन जाति तेली सा० घोडाडोंगरी	257	0.142	0.023
9	छुट्टन व सुखनंदन जाति गोंड सा० देह	283	0.239	0.019
10	गजानंद व मुन्नी जाति गोंड सा० देह	291/1	0.700	0.012
11	संतलाल वल्द गजानंद जाति गोंड सा० देह	291/2	0.636	0.011
12	रामदास व रामसिंग रामरती, भागरती, सुगरती, पिता रामसिंग जाति गोंड सा० देह	292	0.117	0.042
13	शकुनबाई सरबती बेवा झामसिंग जाति गोंड सा० देह	293/1	0.328	0.017
14	जगन वल्द कान्हूलाल जाति गोंड सा० देह	293/2	0.348	0.007
15	प्रेमतीबाई जौ. भग्गुलाल जाति गोंड	294	0.308	0.015
16	छोटू व मनीराम जाति गोंड सा० महेन्द्रवाडी	335/2	0.432	0.005
17	ब्रजलाल वल्द गजानंद जाति गोंड सा० देह	337/4	1.266	0.036
योग			7.477	0.330



2- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

TRP

(तरुण कुमार पिथोड़े)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग


R



बैतूल, दिनांक 7, 06.2019

क्रमांक 11/अ-82/16-17/सडकवाडा/ 5354
प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले में सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा0) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रेषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार घोडाडोंगरी की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल /ग्राम पंचायत में चरपा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।


अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन बैतूल